/ (176)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 33–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–05 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 224/91–92/स्व.निग.

1– सुखवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. शिवसिंह सिख
2– अजमेर सिंह पुत्र स्व. शिवसिंह सिख
3– कुलवंत सिंह पुत्र स्व. शिवसिंह सिख
4– गुरमेज कौर पत्नी शिवसिंह सिख
5– मलसिंह पुत्र अवतार सिंह
6– दर्शन कौर पत्नी अवतार सिंह
निवासीगण ग्राम भेगना
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर ....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– सूरत सिंह पुत्र बालसिंह सिख
ग्राम कोट न्यास, जिला अमृतसर (पंजाब)
2– निरंजन सिंह पुत्र लक्खासिंह
निवासी ग्राम भेगना
तहसील भितरवार परगना डबरा जिला ग्वालियर
3– चंदनसिंह (मृत) वारिसान
(1) हरबंश कौर पत्नी चन्दनसिंह
(2) अमरीक सिंह पुत्र चन्दनसिंह
(3) अजीत सिंह पुत्र चन्दनसिंह
(4) जसविन्दर सिंह पुत्र चन्दनसिंह
(5) बलविंद सिंह पुत्र चन्दनसिंह
(6) मुख्तयार सिंह पुत्र चन्दनसिंह
(7) बलदेव सिंह पुत्र चन्दनसिंह
निवासीगण ग्राम श्यामपुर
तहसील भितरवार, डबरा जिला ग्वालियर
4– जसवीर सिंह उर्फ जसबंत सिंह पुत्र जुगन्दर सिंह
निवासी ग्राम भेगना
तहसील भितरवार, डबरा जिला ग्वालियर
5– चरनसिंह पुत्र दलीप सिंह सिख
निवासी ग्राम खेरी (खेडा)
तहसील भितरवार, डबरा जिला ग्वालियर
6– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर
7– दर्शनसिंह पुत्र जुगन्दर सिंह (मृत) वारिसान
(अ) सुखप्रीत कौर पत्नी दर्शन सिंह
(ब) निर्मल सिंह पुत्र दर्शन सिंह

(स) केवल सिंह पुत्र दर्शन सिंह
8– जसवीर सिंह पुत्र जुगन्दर सिंह
9– प्रपाल सिंह पुत्र जुगन्दर सिंह
10– लखबिन्द सिंह पुत्र जुगन्दर सिंह
11– जसविन्दर सिंह पुत्र जुगन्दर सिंह
निवासीगण ग्राम भेगना
तहसील भितरवार, परगना डबरा जिला ग्वालियर .....प्रत्यर्थीगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, प्रत्यथी कमांक 8 से 11

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/1/17 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 41 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर के प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम अधिकारी, डबरा के प्रकरण कमांक 208/74–75/अ–90बी (3) को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण कमांक 224/91–92/स्व.निगरानी दर्ज किया जाकर दिनांक 30–9–05 को आदेश पारित कर दिनांक 1–1–71 तथा नियत दिनांक 7–3–74 के बीच किये गये अंतरणों को शून्य घोषित कर धारक की 22.477 एकड़ भूमि शासकीय घोषित की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में दिनांक 5–10–2016 को तर्क के दौरान उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनकी ओर से उक्त अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अपील मेमों में उठाये गये आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) धारक सूरत सिंह के खाते में से पूर्व में दिनांक 4–6–69 को 24 एकड़ भूमि जुगन्दर सिंह, प्यारा सिंह पुत्र करतार सिंह को विकय कर दी गई है । इस प्रकार धारक के पास

सिर्फ 30 एकड़ भूमि ही बची है, जिसकी उसे पात्रता थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपीलार्थी क्रमांक 5 व 6 मलसिंह एवं दर्शन कौर प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थें, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा उन्हें बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा मृत चंदन सिंह एवं शिवसिंह के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, अतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

उनके द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अपीलार्थीगण के विद्वान के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मेमों में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1969 में क्रय करना बतलाया जा रहा है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय सहित इस न्यायालय में उनके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 1969 में क्रय की गई है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में किये गये अंतरणों को शून्य घोषित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–05 स्थिर रखा जाता है एवं कलेक्टर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपर आयुक्त के आदेश के पालन में समय–सीमा में अग्रिम कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर